बिहार में मनरेगा मजदूरी बढ़ाने को केंद्र राजी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: बिहार में मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हामी भर ली है। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और नीतीश की बुधवार को हुई मुलाकात में कई लंबित परियोजनाओं में संशोधन पर सहमति बनी है। राज्य में मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि, 10 हजार किमी लंबाई की ग्रामीण सड़कें और इंदिरा आवास के साथ शौचालय बनाने के लिए एकमुश्त नौ हजार रुपये के भुगतान की मांग केंद्र ने मान ली है। जयराम रमेश इन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए जून के पहले सप्ताह में पटना जाएंगे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत बिहार में दिहाड़ी मजदूरी 132 रुपये निर्धारित है। बिहार में मजदूरी 168 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र व राज्य की निर्धारित मजदूरी के इस अंतर पर एतराज जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश ने इसकी भरपाई की मांग की। ग्रामीण विकास मंत्री ने उनकी इस मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है।मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके राज्य में पिछले कई सालों से ग्रामीण सड़कों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, जबकि राज्य में 10 हजार किमी लंबाई की सड़कें बनाई जानी चाहिए थीं। बैठक के दौरान बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह व ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा भी मौजूद रहे।

जयराम-नीतीश मुलाकात

- बिहार में 10 हजार किमी लंबाई की सड़कें बनाई जाएंगी
- शौचालय के लिए एकमुश्त नौ हजार रुपये के भुगतान की मांग

144 रु से कम नहीं मिलेगा

विधि संवाददाता, पटना: हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)के तहत मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी को कम किये जाने पर एतराज जाहिर किया। अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके तहत 13 अप्रैल से मजदूरी 144 से घटाकर 138 रुपया प्रतिदिन कर दिया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने केन्द्र सरकार को भी हलफनामा कर बताने को कहा है कि जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है उससे मनरेगा की मजदूरी कम कैसे हो सकती है? एक लोकहित याचिका की सुनवाई करते न्यायाधीश नवीन सिन्हा एवं न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की खंडपीठ ने इस मसले पर केन्द्र सरकार को 27 जून के पहले अपना पक्ष रखने को कहा है।